

::आदेश::

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावली-2008 के नियम-3 के उपनियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित वाणिज्य कर परिसम्भाग (जोन) के स्तम्भ-3 के सम्भाग का स्तम्भ-4 में उपदर्शित वाणिज्य कर खण्डों का क्षेत्राधिकार एतद् द्वारा निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	जोन का नाम	जोन में सम्मिलित सम्भाग का विवरण		सम्भाग में सम्मिलित मण्डल/खण्डों का विवरण
1	2	3		4
1	वाराणसी प्रथम	1	वाराणसी-ए	वाराणसी मण्डल के खण्ड 1 से 6 तक एवं चन्दौली मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		2	वाराणसी-बी	वाराणसी मण्डल के खण्ड 7 से 12 तक व गाजीपुर मण्डल के सभी 3 खण्ड।
2	वाराणसी द्वितीय	3	वाराणसी-सी	वाराणसी मण्डल के खण्ड 13 से 16 तक एवं जौनपुर मण्डल के सभी 5 खण्ड।
		4	आजमगढ़	आजमगढ़ मण्डल के सभी 5 खण्ड, बलिया मण्डल के सभी 3 खण्ड एवं मऊ मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		5	मिर्जापुर	मिर्जापुर मण्डल के सभी 3 खण्ड, सोनभद्र मण्डल के सभी 3 खण्ड एवं भदोही मण्डल के सभी 3 खण्ड।
3	गोरखपुर	6	गोरखपुर-ए	गोरखपुर मण्डल के खण्ड 1 से 6 तक, बस्ती मण्डल के सभी 3 खण्ड, सिद्धार्थनगर मण्डल के सभी 2 खण्ड एवं सन्तकबीरनगर मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		7	गोरखपुर-बी	गोरखपुर मण्डल के खण्ड-7 से 10 तक, देवरिया मण्डल के सभी 3 खण्ड, महाराजगंज मण्डल के सभी 3 खण्ड एवं कुशीनगर मण्डल के सभी 3 खण्ड।
4	प्रयागराज	8	प्रयागराज-ए	प्रयागराज मण्डल के खण्ड-1 से 7 तक एवं प्रतापगढ़ मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		9	प्रयागराज-बी	प्रयागराज मण्डल के खण्ड-8 से 12 तक, फतेहपुर मण्डल के सभी 3 खण्ड एवं कौशाम्बी मण्डल का एकल खण्ड।
5	अयोध्या	10	अयोध्या -ए	अयोध्या मण्डल के खण्ड-1 से 2, अम्बेडकर नगर मण्डल के सभी 2 खण्ड एवं सुल्तानपुर मण्डल के सभी 3 खण्ड।



		11	अयोध्या-बी	अयोध्या मण्डल के खण्ड-3 से 4 तक, बाराबंकी मण्डल के सभी 4 खण्ड एवं अमेठी मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		12	गोण्डा	गोण्डा मण्डल के सभी 4 खण्ड, बहराईच मण्डल के सभी 2 खण्ड, नानपारा मण्डल का एकल खण्ड, बलरामपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड एवं श्रावस्ती मण्डल का एकल खण्ड।
6	लखनऊ प्रथम	13	लखनऊ-ए	लखनऊ मण्डल के खण्ड-1 से 5 तक एवं हरदोई मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		14	लखनऊ-बी	लखनऊ मण्डल के खण्ड-6 से 10 तक एवं रायबरेली मण्डल के सभी 4 खण्ड।
7	लखनऊ द्वितीय	15	लखनऊ-सी	लखनऊ मण्डल के खण्ड-11 से 23 तक।
		16	सीतापुर	सीतापुर मण्डल के सभी 3 खण्ड, लखीमपुर खीरी मण्डल के सभी 3 खण्ड एवं पलियाकलां मण्डल का एकल खण्ड।
8	बरेली	17	बरेली-ए	बरेली मण्डल के खण्ड 1 से 6 तक एवं बदायूँ मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		18	बरेली-बी	बरेली मण्डल के खण्ड 7 से 9 तक, शाहजहाँपुर मण्डल के सभी 4 खण्ड एवं पीलीभीत मण्डल के सभी 2 खण्ड।
9	कानपुर प्रथम	19	कानपुर-ए	कानपुर नगर मण्डल के खण्ड-1 से 4 तक एवं उन्नाव मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		20	कानपुर-बी	कानपुर नगर मण्डल के खण्ड-5 से 9 तक एवं कानपुर देहात मण्डल के सभी 2 खण्ड।
10	कानपुर द्वितीय	21	कानपुर-सी	कानपुर नगर मण्डल के खण्ड-10 से 15 तक।
		22	कानपुर-डी	कानपुर नगर मण्डल के खण्ड-16 से 21 तक।
11	इटावा	23	इटावा	इटावा मण्डल के सभी 3 खण्ड, औरैया मण्डल के सभी 2 खण्ड, फर्रुखाबाद मण्डल के सभी 3 खण्ड एवं कन्नौज मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		24	मैनपुरी	मैनपुरी मण्डल के सभी 3 खण्ड एवं फिरोजाबाद मण्डल के खण्ड-1 से 3 व खण्ड शिकोहाबाद।
12	झाँसी	25	झाँसी	झाँसी मण्डल के सभी 5 खण्ड, ललितपुर मण्डल का एकल खण्ड एवं जालौन मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		26	बाँदा	बाँदा मण्डल के सभी 2 खण्ड, चित्रकूट मण्डल का एकल खण्ड, हमीरपुर मण्डल का एकल खण्ड एवं महोबा मण्डल का एकल खण्ड।
13	आगरा	27	आगरा-ए	आगरा मण्डल के खण्ड-1 से 8 तक।



		28	आगरा-बी	आगरा मण्डल के खण्ड-9 से 15 तक।
14	अलीगढ़	29	अलीगढ़-ए	अलीगढ़ मण्डल के खण्ड 1 से 5 तक एवं एटा मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		30	अलीगढ़-बी	अलीगढ़ मण्डल के खण्ड 6 से 10 तक एवं कासगंज मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		31	मथुरा	मथुरा मण्डल के सभी 5 खण्ड, कोसीकलॉ मण्डल का एकल खण्ड एवं हाथरस मण्डल के सभी 2 खण्ड।
15	मुरादाबाद	32	मुरादाबाद-ए	मुरादाबाद मण्डल के खण्ड 1 से 4 तक, अमरोहा मण्डल के सभी 2 खण्ड, हसनपुर मण्डल का एकल खण्ड एवं सम्भल मण्डल के सभी 2 खण्ड
		33	मुरादाबाद-बी	मुरादाबाद मण्डल के खण्ड 5 से 8 तक, रामपुर मण्डल के सभी 3 खण्ड व चन्दौसी मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		34	बिजनौर	बिजनौर मण्डल के सभी 2 खण्ड, चौदपुर मण्डल का एकल खण्ड, धामपुर मण्डल का एकल खण्ड एवं नजीबाबाद मण्डल का एकल खण्ड
16	मेरठ	35	मेरठ-ए	मेरठ मण्डल के खण्ड 1 से 6 तक व खण्ड सरधना।
		36	मेरठ-बी	मेरठ मण्डल के खण्ड 7 से 11 तक एवं बागपत मण्डल का एकल खण्ड।
17	गाजियाबाद प्रथम	37	गाजियाबाद-ए	गाजियाबाद मण्डल के खण्ड-1 से 7 तक एवं मोदीनगर मण्डल का एकल खण्ड।
		38	गाजियाबाद-बी	गाजियाबाद मण्डल के खण्ड-8 से 12 तक एवं हापुड मण्डल के सभी 4 खण्ड।
18	गाजियाबाद द्वितीय	39	गाजियाबाद-सी	गाजियाबाद मण्डल के खण्ड-13 से 19 तक।
		40	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर मण्डल के सभी 4 खण्ड, खुर्जा मण्डल का एकल खण्ड एवं सिकन्दराबाद मण्डल का एकल खण्ड।
19	गौतमबुद्ध नगर	41	गौतमबुद्ध नगर-ए	गौतमबुद्ध नगर मण्डल के खण्ड 1 से 10 तक।
		42	गौतमबुद्ध नगर-बी	गौतमबुद्ध नगर मण्डल के खण्ड 11 से 20 तक।
20	सहारनपुर	43	सहारनपुर-ए	सहारनपुर मण्डल के खण्ड 1 से 5 तक।
		44	सहारनपुर-बी	सहारनपुर मण्डल के खण्ड 6 से 8 तक एवं शामली मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		45	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर मण्डल के सभी 4 खण्ड एवं खतौली मण्डल का एकल खण्ड।

इस आदेश के उपरान्त सम्भागों के अधिकक्षेत्र के विनिश्चयन अथवा संशोधन हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश अतिक्रमित समझे जाएंगे।

यह आदेश दिनांक 01-07-2025 से प्रभावी होंगे।


(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव राज्य कर, उ० प्र०, शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ० प्र० ।
5. अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उ० प्र० को पुनर्गठित खण्डों को अपने अभिलेख में सम्मिलित करते हुए तदनुसार तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती की कार्यवाही हेतु ।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना-राजपत्रित) राज्य कर मुख्यालय को पुनर्गठित खण्डों को अपने अभिलेख में सम्मिलित करते हुए तदनुसार उपायुक्त/सहायक आयुक्त/ राज्य कर अधिकारी की तैनाती अथवा प्रभार दिये जाने की कार्यवाही हेतु ।
7. संयुक्त आयुक्त (आई.टी./ जी.एस.टी.एन) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ ही खण्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में व्यापारियों के सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्राधिकार के स्थानान्तरण हेतु विभागीय एवं जी.एस.टी.एन पोर्टल पर अपेक्षित समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कराने हेतु ।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि० अनु० शा०) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
9. संयुक्त आयुक्त उच्चतम न्यायालय कार्य / उच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद/लखनऊ / प्रयागराज ।
10. मुख्यालय के समस्त अनुभाग ।


30.6.25

(अमर नाथ यादव)

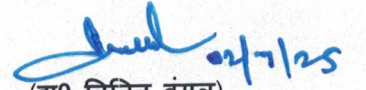
अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

--:: शुद्धि पत्र ::--

पूर्व में जारी आदेश संख्या-195 दिनांक 30-06-2025 में निम्नवत् शुद्धियां की जाती हैं:-

- 1- क्रमांक-6 के स्तम्भ-3 की प्रविष्टि सं०-13 लखनऊ-ए के सापेक्ष स्तम्भ-4 की प्रविष्टि 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-1 से 5 तक एवं हरदोई मण्डल के सभी 3 खण्ड' के स्थान पर 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-1 से 7 तक एवं हरदोई मण्डल के सभी 3 खण्ड' पढ़ा एवं समझा जाये।
- 2- क्रमांक-6 के स्तम्भ-3 की प्रविष्टि सं०-14 लखनऊ-बी के सापेक्ष स्तम्भ-4 की प्रविष्टि 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-6 से 10 तक एवं रायबरेली मण्डल के सभी 4 खण्ड' के स्थान पर 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-8 से 13 तक एवं रायबरेली मण्डल के सभी 4 खण्ड' पढ़ा एवं समझा जाये।
- 3- क्रमांक-7 के स्तम्भ-3 की प्रविष्टि सं०-15 लखनऊ-सी के सापेक्ष स्तम्भ-4 की प्रविष्टि 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-11 से 23 तक' के स्थान पर 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-14 से 23 तक' पढ़ा एवं समझा जाये।

आदेश संख्या-195 दिनांक 30.06.2025 के शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।


(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव राज्य कर, उ० प्र०, शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० ।
5. अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उ०प्र० को पुनर्गठित खण्डों को अपने अभिलेख में सम्मिलित करते हुए तदनुसार तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती की कार्यवाही हेतु ।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना-राजपत्रित) राज्य कर मुख्यालय को पुनर्गठित खण्डों को अपने अभिलेख में सम्मिलित करते हुए तदनुसार उपायुक्त/सहायक आयुक्त/ राज्य कर अधिकारी की तैनाती अथवा प्रभार दिये जाने की कार्यवाही हेतु ।
7. संयुक्त आयुक्त (आई.टी./ जी.एस.टी.एन) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही खण्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में व्यापारियों के सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्राधिकार के स्थानान्तरण हेतु विभागीय एवं जी.एस.टी.एन पोर्टल पर अपेक्षित समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कराने हेतु ।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि०अनु०शा०) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
9. संयुक्त आयुक्त उच्चतम न्यायालय कार्य / उच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद/लखनऊ / प्रयागराज ।
10. मुख्यालय के समस्त अनुभाग ।

(अमर नाथ यादव)

अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।